



राजस्थान गृह विभाग

कार्यालय टिप्पणी

जी. ई. एन. 18

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

49/2016

विविध 11/12/2016

21/17 पत्रावली पेच डूब। P.O. कोर्ट में पधार
हैं गत आदेश की पालना के दिनांक 22/17
को पेच से भेज

प्रस्तुतकार
उप-खण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

22/17 पत्रावली पेच डूब। P.O. कोर्ट में पधार
हैं गत आदेश की पालना के दिनांक 12/18 को पेच से

प्रस्तुतकार
उप-खण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

12/18 पत्रावली पेच डूब। पेंशनकार सरकार उपा। गत आदेश की
पालना के पत्रावली दिनांक 20/4/18 को पेच से।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

20/4/18 पत्रावली पेच डूब। पेंशनकार सरकार उपा। गत आदेश की
पालना के पत्रावली दिनांक 09/5/18 को पेच से।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

9/5/18



पत्रावली राजस्व लोक अदालत में पेच हुई। पत्रावली
पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रतियों
का अवलोकन किया गया। प्रकरण में चाहे गये राले के
ख.नं. 2103, 2108, 2112 मुलाबिक जमाबन्दी सेवक 2011
पृथक-पृथक खतेदारी के नाम दर्ज रिपोर्ट है। यह भी कि
प्रकरण में चाहे गये राले की सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं की
गई है तथा प्रस्तुत गिरदारी सेवक 2011 में शाला अंकित
नहीं है बल्कि भूमि को पट्टा बनाया गया है साथ ही
अंकित कच्चा शाला की लम्बाई-चौड़ाई नहीं दिखायी गई
है। अतः आदेशों के अभाव में प्राथमिक पत्र खारिज किया
जाता है।

9/5/18 उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)